संलग्नक -3

पत्र सं0 8बी/09/324/92/एफ. सी. ./1.67

दूरभाष : 70107
Phone : 75984
75868

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)
बी-1/72, सेक्टर 'के', अलीगंज,
B-1/72, Sector 'K' Aliganj,
लखनऊ-226020
Lucknow-226020

दिनांक 23.5.95

सेवा में,

सचिव,
वन विभाग, उ0 प्र0 शासन,
लखनऊ ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में कनोरिया एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट को पम्प हाउस पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन हेतु 3.79 हेक्टेअर वन भूमि का 25 वर्षों हेतु लीज पर नवीनीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र सं0 514/14-2-503/1961 दिनांक 16.4.91 का अवलोकन करें जिसके द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन कर उसे गैरवानिकी कार्य के लिये उपयोग में लाने हेतु भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा -2 (दो) के तहत जनपद सोनभद्र में मै0 कनोरिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 रेनूकूट को पम्प हाउस पाईप लाईन एवं ओवर हेड ट्रांसमिशन लाईन के लीज के नवीनीकरण हेतु 3.79 हेक्टेअर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैर वानिकी कार्यों के लिये निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है

(1) वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
(2) लीज की अवधि 31.3.2013 तक होगी ।
(3) वन भूमि का प्रयोग सिर्फ उपरोक्त प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य किसी कार्य हेतु नहीं । यदि यह पाया गया कि वन भूमि का प्रयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा है तो स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी एवं वन भूमि वन विभाग को वापस हो जायेगी ।
(4) वन विभाग द्वारा याचक विभाग के व्यय पर समतुल्य गैरवानिकी भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा ।
(5) उक्त गैरवानिकी भूमि को संरक्षित वन घोषित किया जायेगा ।

भवदीय,
दीपक खन्ना
23/5

(दीपक खन्ना)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

S.N. SASTRY
Unit Head
Grasim Industries Limited
(Chemical Division Renukoot)
P.O. Renukoot-231217, Distt. Sonebhadra, (U.P.)